न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

अपील सं0 18/2021 रसद

सुरेश कुमार गुर्जर, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत बाणे का बरखेडा तहसील दौसा जिला दौसा राज0

..अपीलांट

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

..रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी दौसा दिनांक 04.03.2021 बाबत निरस्ती प्राधिकार पत्र अपीलांट मु0नं0 04/2019

उपस्थित–1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:12.07.2023

अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 04.03.2021 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने रेस्पों0 से उचित मूल्य सामग्री वितरण हेतु नियमानुसार प्राधिकार पत्र ले रखा है जिसका प्राधिकार पत्र सं0 167/2007 है। उससे अपीलांट को रेस्पों0 द्वारा ग्राम पंचायत बाणे का बरखेडा तहसील दौसा के उचित मूल्य सामग्री वितरण हेतु एफपीएस डीलर नियुक्त कर रखा है। उक्त प्राधिकार पत्र के तहत अपीलांट नियमानुसार अपने वितरण क्षेत्र में रेस्पों. द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशन सामग्री का उपभोक्ताओं को वितरण करता रहा है। अपीलांट दिनांक 29.8.2017 को 11000 केवी विद्युत लाईन से चिपक गया था जिससे अपीलांट गंभीर रूप से झुलस गया जो दिनांक 29.8.2017 से 10.9.2017 तक जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती रहा जहॉ पर अपीलांट का इलाज चला तथा दिनांक 10.9.2017 को प्रार्थी को डिस्चार्ज कर देने के बाद पुनः 26.9.2017 से 3.10.2017 तक भर्ती रहकर दिनांक 3.10.2017 को डिस्चार्ज होकर घर पर ही बैड रेस्ट पर रहा तथा अपीलांट चलने फिरने व कोई भी कार्य करने की स्थिति में नहीं था इसके बावजूद भी अपीलांट उचित मूल्य सामग्री का वितरण नियमित समय पर करवाता रहा। किन्तु इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्ती की कार्यवाही को विचाराधीन रखते हुए अग्रिम आदेशों तक के लिए निलंबित किया गया। उसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियमन आदेश 1976 की शर्त सं0 5, 6, 8, 11, 18 का दोषी मानते हुए अपीलांट को जारी प्राधिकार की जमा शुदा संपूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू0 जब्त सरकार करते हुए जारी प्राधिकार पत्र निरस्त फरमा दिया व अपीलांट के विरूद्ध 11,88,480/–रू0 की वसूली के आदेश भी फरमा दिये। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा किस शिकायत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक को दिनांक 2.1.2019 को अपीलांट की उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करने हेतु भेजा गया इस प्रकार का कोई भी शिकायती प्रा.पत्र ना तो जिला रसद अधिकारी

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

दौसा एवं ना ही प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बताया गया है ना ही जिला रसद अधिकारी दौसा की पत्रावली में उपलब्ध है। ऐसे में प्रवर्तन अधिकारी ने केवल मात्र बनावटी तथ्यों के आधार पर व अपीलांट के खाली कागज पर हस्ताक्षर कराकर उक्त निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 2.1.2019 को आधार बनाकर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है वह गलत है क्योंकि ना तो प्रवर्तन निरीक्षक के बयान लिये और ना ही प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज को प्रदर्शित कराया गया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थी की दुकान का दिनांक 2.1.2019 को जो निरीक्षण कर फर्द मजमे आम तैयार कर फर्द पर मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ताओं के दरयाफ्त करने पर सामूहिक रूप से जानकारी प्रदान किया जाना बताया है जो कानूनन गलत है। प्रवर्तन निरीक्षक को प्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करते समय उपस्थित व्यक्तियों के अलग–2 बयान दर्ज करने चाहिए थे। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी मनमानी रिपोर्ट एवं फर्द मजमे आम रिपोर्ट बनावटी एवं गलत तथ्यों के आधार पर तैयार कर जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। जिला रसद अधिकारी ने प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 2.1.2019 को आधार मानकर प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही प्रार्थी का प्राधिकार पत्र आगामी आदेशों तक निलंबित कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने प्रार्थी को सुनवाई हेतु अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 1.2.2021 को नोटिस जारी किया गया जिस पर प्रार्थी की तामील पूर्ण मान ली गई तो दिनांक 12.2.2021 को पुनः अंतिम सुनवाई हेतु उपस्थित हेतु का नोटिस जारी किया जाना अनुचित है। अपीलांट के उक्त प्रकरण में माननीय राज. उच्च न्यायालय बैंच जयपुर की एस.बी. सिविल रिट याचिका सं0 3403/2021 के आदेश दिनांक 18.3.2021 के स्थगन आदेश जो कि प्राधिकार निलंबन के आदेश के विरूद्ध था, की प्रति देने के लिए जब प्रार्थी दिनांक 23.3.2021 को जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होने पर कार्यालय के संबंधित लिपिक ने कई सादा कागजों पर प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा लिये और प्रार्थी अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में जिस अवधि के दौरान चीनी और केरोसीन वितरण में अनियमितता करना बताया है उस अवधि के बीच–2 में प्रार्थी को चीनी और केरोसीन आपूर्ति हेतु सामग्री नहीं दी गई थी लेकिन फिर भी प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में चीनी व केरोसीन वितरण में अनियमितता बताकर रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो असत्य है। इस रिपोर्ट को ही आधार मानकर जिला रसद अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि अपीलांट राशन सामग्री लेने आने वाले उपभोक्ताओं से धोखे से पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाकर ऑनलाईन पॉश मशीन पर फर्जी इन्द्राज कर लेता है। यह किसी भी प्रकार संभव नहीं है। उपभोक्ता राशन सामग्री प्राप्त करने के बाद ही पॉस मशीन पर अंगूठा लगाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा के समक्ष अपीलांट ने उपस्थित होकर मौखिक निवेदन किया गया कि अपीलांट 11000 केवी विद्युत लईन से चिपक जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो जाने से प्रार्थी को कोहनी से एक हाथ कटवाना पडा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपने परिजनों की मदद से उचित मूल्य की दुकान पर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री देर सवेर उपलब्ध कराई गई है जिसमें अपीलांट को कोई बदयान्ति नहीं रही है। इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी दौसा ने मनमाने तरीके से अपीलाट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जो निरस्तनीय है। अपीलांट के अकस्मात विद्युत लाईन से चिपक जाने के कारण हाथ काटने जैसी घटना घट जाने से अपीलांट अब कोई अन्य रोजगार कार्य करने हेतु सक्षम नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना न्यायोचित है ताकि अपीलांट अपना व अपने परिवार का

.....निरंतर 3 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

भरण पोषण कर सके। अतः जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2021 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे। साथ ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल होने तक अपीलांट को एक–एक दिन हानि हुई है उस बाबत 2000/–रू0 प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना क्षतिपूर्ति राशि अपीलांट को दिलवाई जावे।

विभागीय पैरोकार सरकार की दलील है कि उचित मूल्य दुकानदार की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी दौसा के निर्देशानुसार दिनांक 2.1.2019 को प्रवर्तन निरीक्षक दौसा के द्वारा अपीलांट की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। जिसमें उचित मूल्य दुकान के बाहर मूल्य व स्टॉक सूची बोर्ड का प्रदर्शन नहीं हो रहा था। निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से उचित मूल्य दकान के निरीक्षण में गेहूँ के स्टॉक की मात्रा 48614.175 किलोग्राम एवं चीनी के स्टॉक की मात्रा 1170 किलोग्राम तथा केरोसील के स्टॉक की मात्रा 2760 लीटर कम पाई गई। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त राशन सामग्री का दुरूपयोग किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियमन आदेश 1976 की शर्त सं0 5, 6, 8, 11, 18 तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अपीलांट द्वारा राशन सामग्री का दुरूपयोग किये जाने जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 4.3.2021 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र जमा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। साथ ही अपीलांट द्वारा गबन किये गये गेहूँ की मात्रा 48614.175 किलोग्राम एवं चीनी की मात्रा 1170 किलोग्राम तथा केरोसीन की मात्रा 2760 लीटर की कुल 1188480.9375 रूपये वसूली के आदेश पारित किये गये है। जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधि अनुसार पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलांट व विभागीय पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट की राशन वितरण की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक दौसा द्वारा अपीलांट की उचित मूल्य दुकान का दिनांक 2.1.2019 को निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन रसद कार्यालय में दिनांक 15.1.2019 को प्रस्तुत करने पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 29.1.2019 को निलंबित किया जाकर अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा कारण बताओ नोटिस का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 4.3.2021 के द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी दौसा की मूल पत्रावली में अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलंबित किया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने से पूर्व अपीलांट को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है जिस पर प्राप्ति हस्ताक्षर अंकित है। कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने एवं अपीलांट द्वारा कोई जवाब नहीं दिये जाने के फलस्वरूप जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 4.3.2021 को प्राधिकार पत्र की जमाशुदा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलांट द्वारा राशन सामग्री में गेहूँ की मात्रा 48614.175 किलोग्राम एवं चीनी की मात्रा 1170 किलोग्राम तथा केरोसीन की मात्रा 2760 लीटर का गबन किया जाना प्रमाणित होता है। जिला रसद अधिकारी दौसा के द्वारा अपीलांट के विरूद्ध रसद सामग्री के गबन किये जाने पर कुल 1188480.9375 रूपये वसूली के आदेश पारित किये गये है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पूर्ण प्रकिया का पालन करते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी

.....निरंतर 4 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हस्ताक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। हम अपील अपीलांट खारिज योग्य समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.3.2021 यथावत रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 12 जुलाई 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा